उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-25/2017/494/92-1-2017-131आरईएस/2008

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री परवेज अख्तर, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हापुड को सम्यक् विचारोपरान्त जनहित/शासकीय कार्यहित में अपने मूल पद, सहायक अभियंता के कार्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था (Stop gap arrangement) के अन्तर्गत अधिशासी अभियंता, पी0आई0यू0-बुलन्दशहर का कार्य, अतिरिक्त प्रभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- अधिशासी अभियंता के रूप में उक्त अतिरिक्त कार्यों एवं दायित्व को सम्पादित करने के लिये श्री परवेज अख्तर को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।

3- उक्त पद के कार्यों एवं दायित्वों के सम्पादन हेतु उक्त नितांत काम चलाऊ एवं अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2017/494(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in